भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5533

(दिनांक 26.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

पत्र सूचना कार्यालय

5533. श्री सदाशिव किसान लोखंडेः

श्रीमती माला रायः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा पीआईबी के गठन के उद्देश्य क्या थे;

(ख) क्या पीआईबी ने अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं किया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीआईबी के कार्यकलापों की समीक्षा की है और यदि हां, तो यह समीक्षा किस तिथि को की गई थी और इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) क्या पीआईबी द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्तियों सहित सभी सरकारी आदेशों को सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री

(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) एवं (ख): सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और उपलब्धियों पर मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल) के माध्यम से जनता में सूचना का प्रसार करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। पत्र सूचना कार्यालय उसी वांछित उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है जिसके लिए इसका गठन किया गया है।

(ग): पीआईबी द्वारा किए गए प्रचार कार्यक्रमों और अन्य कार्यकलापों की नियमित रूप से विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है।

(घ): वर्तमान में, पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा जारी सभी महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्तियों का 13 भाषाओं में अनुवाद किया जाता है।

*****